क्रम संख्या–192 (ङ)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 28, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 381/XXXVI (3)/2016/61(1)/2016

देहरादून, 19 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2016"** पर दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 37 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 37, वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड राज्य में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं को प्रभावी अनुरक्षण एवं आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए और भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न–भिन्न तारीख नियत की जा सकेगी।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) **"अपीलीय प्राधिकारी"** से सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) **"भवन"** से कोई ढांचा चाहे पक्की चिनाई का हो, ईंट, लकड़ी, गारे, धातु या अन्य सामग्री से बना कोई भवन अभिप्रेत है और इसमें मकान, आऊट हाऊस, तलघर, भूमिगत पार्किंग, शौचालय, मूत्रालय, शेड, झोपड़ी या दीवार (चार दीवारी के अलावा) भी सम्मिलित है;

(ग) **"भवन उपविधि"** से राज्य में भवनों से सम्बद्ध सरकार द्वारा बनायी गयी कोई उपविधि अभिप्रेत है;

(घ) **"राज्य सरकार"** से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) **"मुख्य अग्निशमन अधिकारी"** से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) **"अग्निरोकथाम एवं अग्निसुरक्षा उपाय"** से अग्निरोकथाम, नियन्त्रण एवं अग्नि बुझाने के लिए या आग लगने की स्थिति में जनजीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भवन उपविधि/भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार यथावश्यक उपाय तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों;

(छ) "अग्निसुरक्षा अधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत किसी भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा परिसर अथवा भवन में अग्निरोकथाम तथा अग्निसुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किये जाने हेतु नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "उप–निदेशक" से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त उप–निदेशक (तकनीकी) उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग से अभिप्रेत है।

(झ) "अग्निशमन एवं आपात सेवा" से उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अभिप्रेत है;

(ञ) "अग्निशमन केन्द्र" से आग बुझाने के उपकरण तथा साज सज्जा रखने तथा अग्निशमन कर्मियों के लिए बनाया गया कोई भवन तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अग्निशमन केन्द्र के रुप में सरकार द्वारा सामान्यतः या विशेष रुप से घोषित कोई केन्द्र अभिप्रेत है;

(ट) "महानिरीक्षक" से तात्पर्य महानिरीक्षक अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड से है;

(ठ) "स्थानीय प्राधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत तथा छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है;

(ड) "बहुमंजिला भवन" से इस संबंध में नियमों में विहित न्यूनतम ऊँचाई वाला भवन तथा सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भवन अभिप्रेत है;

(ढ) "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से आशय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी जो कि अग्निशमन अधिकारी पद से निम्न का न हो, से अभिप्रेत है;

(ण) "अधिभोगी" के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है –

(एक) ऐसा कोई व्यक्ति, जो स्वामी को ऐसी भूमि या भवन का, जिसके सम्बन्ध में किराया दिया जाता है या देय हो, किराया या किराये का कोई भाग तत्समय दे रहा हो या देने के लिए दायी हो;

(दो) ऐसा स्वामी, जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोगी है या उसका अन्यथा उपयोग कर रहा हो;

(तीन) किसी भूमि या भवन का किराया मुक्त अभिधारी;

(चार) कोई लाइसेंसधारी, जो किसी भूमि या भवन का अधिभोगी हो;

(पाँच) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन के प्रयोग या अधिभोग से हुए नुकसान के लिए स्वामी को भुगतान करने के लिए दायी हो;

(त) अग्निशमन एवं आपात सेवा के "कार्यशील सदस्य" से अग्निशमन एवं आपात सेवा का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो अग्निशमन वाहन चलाने अथवा अग्निस्थल पर अग्निशमन उपकरण या साधन संचालित करने तथा वास्तविक रूप से आग बुझाने हेतु नियुक्त हो;

(थ) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यक्ति भी है, जो तत्समय चाहे अपने स्वयं या अपने एवं अन्य लोगों के मद्दं या किसी अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में किसी भूमि या भवन का किराया प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो या यदि भूमि या भवन या उसका कोई भाग किसी अभिधारी को किराये पर दिया गया हो तो ऐसा व्यक्ति भी है, जिसे इस प्रकार किराया प्राप्त करना चाहिए या प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(एक) निष्क्रान्त सम्पत्ति के संबंध में निष्क्रान्त सम्पत्ति का अभिरक्षक, जिसमें निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 31 वर्ष 1950) के अधीन उक्त सम्पत्ति निहित है;

(दो) सरकार के अधीन नियन्त्रणाधीन सम्पत्तियों हेतु नियुक्त कोई प्राधिकारी या संस्था और किसी सरकारी विभाग का विभागाध्यक्ष;

(द) "परिसर" से विस्फोटक पदार्थों तथा खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण के उपयोग के लिए ऐसी भूमि या भवन या उससे संलग्न भवन का भाग अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण— इस खण्ड में "विस्फोटक", "विस्फोटक पदार्थों" तथा "खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थों" के वही अर्थ होंगे, जो विस्फोटक अधिनियम, 1884 (अधिनियम सं0 4 वर्ष 1884), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (अधिनियम सं0 6 वर्ष 1908) तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (अधिनियम सं0 20 वर्ष 1952) में उनके लिए समनुदेशित है;

(ध) "अधीनस्थ ऑपरेशनल स्टाफ" से अग्निशमन आपात एवं सेवा में नियुक्त अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, लीडिंग फायरमैन, ड्राइवर, फायरमैन तथा कोई अन्य समकक्ष रैंक का अधिकारी अभिप्रेत है;

(न) "अग्निशमन अधिकारी" से सरकार द्वारा नियुक्त अग्निशमन एवं आपात सेवा का कोई अधिकारी अथवा अग्निशमन केन्द्र का प्रभार देखने वाले अधिकारी से अभिप्रेत है;

(प) "जिला मजिस्ट्रेट" से जनपद के जिला मजिस्ट्रेट / अध्यक्ष जनपद प्रबन्धन प्राधिकरण के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है।

सेवा का नाम

3. उन क्षेत्रों में, जिनमें यह अधिनियम तत्समय प्रवृत्त हो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने वाले समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक दल समझे जायेंगे, जो उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा नाम से ज्ञात होगा और उसमें ज्येष्ठता के क्रम में निम्नलिखित पंक्तियाँ होंगी :—

(क) उपनिदेशक (तकनीकी);

(ख) मुख्य अग्निशमन अधिकारी;

(ग) अग्निशमन अधिकारी;

(घ) अग्निशमन द्वितीय अधिकारी;

(ङ) लीडिंग फायरमैन तथा ड्राइवर; और

(च) फायरमैन।

अधीक्षण, शक्तियाँ और कृत्य

4. (1) उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा का अधीक्षण और नियंत्रण महानिरीक्षक में निहित होगा।

(2) राज्य सरकार, महानिरीक्षक को उनके कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये ऐसे अग्निशमन विभाग के अधिकारी नियुक्त कर सकेगा, जिन्हें वह ठीक समझे।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनिदेशक (तकनीकी) एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ऐसी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और ऐसे प्रशासनिक कृत्यों का निर्वहन करेंगें, जिन्हें विहित किया जाये।

दण्ड

5. तत्समय राज्य सरकार द्वारा किसी विधि या नियम के अधीन उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारी को किसी पर्याप्त कारणों से दण्डित किया जा सकेगा।

अग्निशमन एवं आपात सेवा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

6. (1) सरकार अग्निशमन एवं आपात सेवा के कर्मचारियों तथा धारा 9 में यथाविनिर्दिष्ट उद्योगों, होटलों, बहुमंजिली इमारतों तथा इसी तरह के सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के निजी कर्मचारियों के लिए आग

की रोकथाम और उसे बुझाने के उपायों के प्रशिक्षण हेतु "उत्तराखण्ड अग्नि शमन एवं आपात सेवा प्रशिक्षण केन्द्र" ज्ञात नाम से प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगी तथा उसका रख–रखाव करेगी।

(2) सरकार यथानिर्धारित प्रभारों के भुगतान पर अन्य राज्यों के राज्य अग्निशमन एवं आपात सेवाओं तथा स्थानीय निकायों तथा औद्योगिक उपक्रमों के नियन्त्रणाधीन अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के लिए उपधारा (1) के अधीन स्थापित की जाने वाली केन्द्र में समय–समय पर प्रशिक्षण सुविधाओं को विस्तारित कर सकेगी।

(3) अग्निशमन एवं आपात सेवा के कर्मचारियों को अग्नि संरक्षण और अग्नि सुरक्षा उपायों के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपायों के प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित संस्थान में संबद्ध विषयों में प्रशिक्षित कराया जा सकेगा।

अग्निशमन एंव आपात सेवा द्वारा जल का उपभोग

7. अग्निशमन करने, प्रशिक्षण देने, जल की स्टैटिक टंकियों को भरने या अन्य ऐसे ही प्रयोजनों के लिये उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा द्वारा उपभुक्त जल के लिये किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई धनराशि नहीं ली जायेगी।

अग्निनिग्रहण एवं आपातकाल के लिये अग्निशमन सेवा की और अन्य व्यक्तियों की शक्तियाँ

8. किसी ऐसे नगर या सीमाओं में जिस पर यह अधिनियम लागू हो, आग लगने की घटना पर उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा के कोई ऐसे सदस्य द्वारा, जो पंक्ति में लीडिंग फायरमैन से नीचे का न हो, कोई मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी, जो पंक्ति में हेड कांस्टेबल से नीचे का न हो—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति या व्यवधान को हटा सकेगा या हटाने का आदेश दे सकेगा, जो अपनी उपस्थिति द्वारा आग बुझाने या जीवन अथवा सम्पत्ति की रक्षा करने की संक्रिया में हस्तक्षेप करता हो या अड़चन डालता हो,

(ख) किसी ऐसी सड़क या रास्ते को बंद कर सकेगा, जिसमें या जिसके निकट आग जल रही हो ;

(ग) आग बुझाने के प्रयोजन से किसी भूग्रहादि में उसके स्वामी अथवा अध्यासी की अनुमति के बिना प्रवेश कर सकेगा या हौज या सावित्र के लिये रास्ता बनाने के लिये उसका भेदन करके उसके भीतर या उनसे होकर जा सकेगा या उन्हें गिरा सकेगा अथवा भेदन करवाकर उनके भीतर या उनसे होकर किसी को भेज सकेगा या उन्हें गिरवा सकेगा,

(घ) उस स्थान में या उसके निकट जहां आग लगी हो, जल का दबाव या जल का परिमाण बढ़ाने के लिये मुख्य नलों या लाइनों को बंद करवा सकेगा,

(ङ) जल के किसी उपलब्ध, सार्वजनिक या निजी, स्रोत का उपयोग कर सकेगा,

(च) सामान्यतया ऐसे उपाय कर सकेगा, जिन्हें वह जीवन या सम्पत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक समझे।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा अग्निसुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति किया जाना

9. (1) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन निम्नलिखित श्रेणी के भवनों या परिसरों के मालिक तथा अधिभोगी या ऐसे स्वामियों या अधिभोगियों की कोई संस्था को अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा उपायों तथा उसके प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने हेतु एक अग्नि सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना बाध्यकारी होगा :—

(क) 1000 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 10,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल के व्यवसायिक परिसर;

(ख) 100 या उससे अधिक कमरों वाला होटल अथवा छात्रावास

(ग) 500 या उससे अधिक आवासीय फ्लेटों के बहुमंजिले भवन;

(घ) ऑयल रिफाइनरी, एलपीजी बौटलिंग प्लांट तथा इसी तरह के अन्य प्रतिष्ठान;

(ङ) 50,000 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता वाले खुले स्टेडियम तथा 25,000 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता वाले इनडोर स्टेडियम;

(च) 250 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल तथा नर्सिंग होम;

(छ) औद्योगिक संस्थान जिनमें 1000 या अधिक कर्मी कार्यरत हों,

(ज) सार्वजनिक और अर्द्ध–सार्वजनिक भवन जैसे बड़े व छोटे आकार वाले रेलवे स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस अड्डे, मनोरंजन पार्क, तथा इस प्रकार के अन्य भवन :

परन्तु यह कि सरकार, अधिसूचना द्वारा समर्य–समय पर ऐसे अन्य सार्वजनिक एवं निजि परिसरों हेतु, जिनमें उसके विचार से अग्निसुरक्षा अधिकारियों को नियुक्त किया जाना अथवा हटाया जाना आवश्यक हो, सम्मिलित करने अथवा हटाने के आदेश दे सकेगी।

9(2)– धारा–9(1) में श्रेणीकृत भवनों/परिसरों के लिये निर्धारित किये गये क्षमता/संख्या मानक के 50 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की प्रथम तिमाही में आवेदन करते हुये भवनों या परिसरों के मालिक/अधिभोगियों की संस्था द्वारा अपने जनपद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी, जैसी स्थिति हो, से अपने भवन/परिसर में किये गये अग्निशमन एवं सुरक्षा उपायों के प्रभावी रूप से संचालनशील होने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना बाध्यकारी होगा। मार्च माह की अन्तिम तिथि तक आवेदन प्राप्त न होने पर सम्बन्धित जनपद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी, जैसी स्थिति हो, द्वारा स्वयं अपने जनपद के इस श्रेणी के भवनों/परिसरों की जाँच सुनिश्चित करते हुये अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा तथापि इसके लिये वह धारा–10(2) में निर्धारित की गयी दर के अनुसार दण्ड भी अधिरोपित करेगा, जिसकी वसूली धारा–10(3) के प्राविधान के अनुसार की जायेगी।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा अग्निसुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति न किए जाने पर दण्ड

10. (1) यदि किसी भवन या परिसर का कोई मालिक या अधिभोगी या ऐसे भवन या परिसरों के मालिकों और अधिभोगियों की कोई संस्था, धारा 9 के अधीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अधिनियम के लागू होने अथवा इस सम्बन्ध में दी गई किसी सूचना की प्राप्ति से 30 दिनों के अन्दर अग्निसुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो उनमें से प्रत्येक को संयुक्त रुप से अथवा पृथक–पृथक रुप से चूककर्ता समझा जाएगा।

(2) जहाँ अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को चूक कर्ता समझा गया हो, वहां ऐसे परिसरों के उत्तरदायी व्यक्ति मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्धारित सामान्य क्षेत्र सहित उसके स्वामित्व या अधिभोग में रखे गए क्षेत्र हेतु न्यूनतम 10 प्रति वर्गमीटर तथा अधिकतम 50 प्रतिवर्ग मीटर की दर से दण्ड का भागी होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अर्थदण्ड के रुप में देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रुप में वसूल कर राजकोष में जमा की जा सकेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित किये गये दण्ड के उपरान्त भी यदि उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा 03 माह के भीतर कार्यवाही नहीं की जाती है, तो

क्रम संख्या–22 (ख)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 31 मार्च, 2017 ई0

चैत्र 10, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 92 / XXXVI (3) / 2017 / 61(1) / 2016

देहरादून, 31 मार्च, 2017

शुद्धिपत्र

(CORRIGENDUM)

विधायी परिशिष्ट भाग–1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम) के राजपत्र में प्रकाशित विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0– 381 / XXXVI(3) / 2016 / 61(1) / 2016, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित "उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016" की धारा 10 की उपधारा (2) की चौथी एवं पांचवीं पंक्ति में 10 प्रति वर्गमीटर एवं 50 प्रति वर्गमीटर के स्थान पर कमशः ₹ 10 प्रति

वर्गमीटर एवं ₹ 50 प्रति वर्गमीटर पढ़ें एवं अंग्रेजी पाठ में धारा 10 की उपधारा (2) की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में 10 per square meter एवं 50 per square meter के स्थान पर क्रमशः ₹ 10 per square meter एवं ₹ 50 per square meter पढ़ें एवं अंग्रेजी पाठ में धारा 2 की उपधारा (n) की दूसरी पंक्ति में by the Government के बाद शब्द "not below the rank of fire station officer" पढ़ें एवं अंग्रेजी पाठ की धारा 15 की उपधारा (4) की पंक्ति दो–तीन में (covered area above 5,0000 sq. meter) के स्थान पर (covered area above "5,000" sq. meter) पढ़ें।

रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 विधायी/230–2017–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

पूर्व में मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अधिकृत दर से दुगनी दर से अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

सम्पत्ति के स्वामी का प्रतिकर देने का अधिकार

11. (1) कोई व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति में, स्वयं अथवा अभिकर्ता द्वारा जानबूझ कर या उपेक्षा से किये गये किसी कारण से आग लगे, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर देने के लिये दायी होगा, जिस व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (ग) और (ङ) के अधीन किसी कार्यवाही के कारण, जो किसी ऐसे अधिकारी द्वारा उसमें उल्लिखित है या ऐसे अधिकारी के प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की गयी हो, नुकसान पहुंचा हो।

(2) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन समस्त दावे नुकसान पहुंचाने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को किये जायेगें। जिला मजिस्ट्रेट देय प्रतिकर की धनराशि संक्षेपतः अवधारित करेगा और आदेश देगा, जिसमें भुगतान किये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि तथा उसके दायी व्यक्ति का नाम दिया जायेगा और इस प्रकार दिये आदेशों का वही प्रभाव हो, जो किसी सिविल न्यायालय डिक्री का होता है।

प्रतिकर देने की राज्य सरकार की शक्ति

12. यदि इस अधिनियम की धारा 9 में विनिर्दिष्ट स्थानों एवं कारणों से भिन्न किसी कारण से आग लग जाये तो राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी सम्पत्ति को इस अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (ग) और (ङ) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही के कारण कोई नुकसान पहुंचा हो, पहुंचे नुकसान की अधिकतम सीमा के भीतर स्व विवेक से यथोचित प्रतिकर राज्य के राजस्व में से दे सकेगी ।

प्रतिकर के वादों पर निर्बन्धन

13. (1) इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जायेगा ।

(2) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश से असंतुष्ट होकर कोई व्यक्ति, अपना दावा सिद्ध करने के लिये सक्षम अधिकारिता वाले किसी सिविल न्यायालय में ऐसे आदेश के दिनांक से छः माह के भीतर, वाद संस्थित कर सकेगा। धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन दिया गया आदेश ऐसे वाद के परिणाम के लिये अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

जानकारी प्राप्त करने की शक्ति

14. (1) मुख्य अग्निशमन अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी किसी भवन या अन्य सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी से उस भवन या अन्य सम्पत्ति के स्वरूप उपलब्ध जल सम्पूर्ति तथा उस तक पहुँचने के साधन तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा स्वामी या अध्यासी उससे अपेक्षित समस्त जानकारी, युक्तियुक्त समय के भीतर देगा।

(2) यदि इस धारा की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित कोई जानकारी युक्तियुक्त समय के भीतर न दी जाये या यथास्थिति मुख्य अग्निशमन अधिकारी या किसी अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि दी गई कोई जानकारी सही नहीं है तो उक्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी या किसी अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी जानकारी प्राप्त करने या उसे सत्यापित करने के प्रयोजन के लिये, स्वामी या अध्यासी को ऐसा नोटिस, जो विहित किया जाये, देने के बाद, किसी ऐसे भुगृहादि या सम्पत्ति में प्रवेश कर सकेगा।

बहुमंजिला भवनों, परिसरों आदि का निरीक्षण

15. (1) नाम–निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी ऐसे बहुमंजिले भवन, जिसकी ऊँचाई ऐसी हो, जैसी विहित की जाय, के अधिभोगी या यदि कोई अधिभोगी न हो तो उसके स्वामी को तीन घण्टे की सूचना देने के पश्चात् या परिसर में सूर्योदय या सूर्यास्त के मध्य किसी भी समय प्रवेश कर सकेगा और उक्त भवन या परिसर का निरीक्षण, जहाँ ऐसी निरीक्षण अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता या उनका उल्लंघन सुनिश्चित करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो, कर सकेगा :

परन्तु यह कि नामनिर्दिष्ट अधिकारी, यदि उसे आकस्मिकता में जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो तो वह किसी भवन या परिसर में किसी भी समय प्रवेश करके निरीक्षण कर सकेगा।

(2) नाम–निर्दिष्ट प्राधिकारी को भवन या परिसर के, यथास्थिति, स्वामी या अधिभोगी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण को कार्यान्वित करने के लिए समस्त सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) जब मानव आवास के रूप में प्रयुक्त किसी भवन या परिसर में उपधारा (1) के अधीन प्रवेश किया जाय तो अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक

भावनाओं का सम्यक ध्यान रखा जायेगा और प्रथा के अनुसार जनता के सामने प्रकट न होने वाली महिला के वास्तविक अधिभोग के किसी कमरे में उपधारा (1) के अधीन प्रवेश करने के पूर्व उसे इस बात की सूचना दी जायेगी कि वह यहाँ से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और वहाँ से हटवाने के लिए उसे प्रत्येक समुचित सुविधा प्रदान की जायेगी।

(4) समस्त आवासीय भवन जो 15 मी0 या इससे ऊँची होंगी तथा औद्योगिक/व्यवसायिक (कवर्ड एरिया 5,000 वर्ग मी0 से अधिक हो) और विस्फोटक एवं तीव्र ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण करेगी उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा जो कि उप–निदेशक या मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अग्निशमन अधिकारी/नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी की संस्तुति के आधार पर निर्गत किया जायेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र उपनिदेशक (तकनीकी) के अनुमोदन उपरान्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

भवन या परिसर को सील करने की शक्ति

16. (1) जहाँ, नाम–निर्दिष्ट प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि किसी भवन या परिसर की दशा, जीवन या सम्पत्ति के लिए खतरनाक है, आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति से, जिसके कब्जे या अधिभोग में ऐसा भवन या परिसर हो, से ऐसे भवन या परिसर से तुरन्त हट जाने की अपेक्षा करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो वो जिला मजिस्ट्रेट भवन या परिसर से ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिए क्षेत्र में ऐसी अधिकारिता रखने वाले किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकता है और ऐसा अधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(3) यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों को हटाये जाने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट भवन या परिसर को सीलबन्द कर देगा।

(4) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये किसी आदेश के अधीन के सिवाय नहीं हटायेगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश के बिना यदि किसी व्यक्ति द्वारा सील हटाई गई तो तीन महीने की सजा और जुर्माना जो कि 25,000 रू से कम न हो का भोगी होगा।

कतिपय भवनों और परिसर के सम्बन्ध में उपबन्ध

17. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य अग्निशमन अधिकारी किसी भवन में, जिसके अन्तर्गत निर्माणाधीन भवन भी है, प्रवेश कर सकेगा या उसका निरीक्षण कर सकेगा, यदि ऐसा निरीक्षण ऐसे भवनों में अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा के उपायों की पर्याप्तता को अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

(2) मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रवेश और निरीक्षण की रीति से किया जायेगा, जैसा धारा 15 में नाम–निर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्बन्ध अधिकथित है।

(3) मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन भवन या परिसर का निरीक्षण करने के पश्चात् और निम्नलिखित पर विचार करने के उपरान्त ऐसे भवन या परिसर के स्वामी या अधिभोगी को एक नोटिस देगा, जिसमें ऐसे भवन या परिसर में अग्नि निवारण और अग्नि से सुरक्षा के उपायों की अपर्याप्तता कथित करेगा और ऐसे स्वामी या अधिभोगी को उसकी अपर्याप्तता को ऐसी अवधि जैसी वह न्यायोचित या युक्तियुक्त समझे, के भीतर ठीक करने के लिए निदेशित करेगा :—

(क) भवन उपविधियों के उपबन्ध, जिसके अनुसार उक्त भवन या परिसर की योजना अनुमोदित की गई थी;

(ख) उक्त भवन या परिसर की योजना की मंजूरी के समय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शर्तें, यदि कोई हो; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे भवन या परिसर के लिए विनिर्दिष्ट अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के न्यूनतम मानक।

कतिपय भवनों की अनुज्ञा

18. पन्द्रह मीटर से अधिक ऊँचाई वाले प्रत्येक भवन चाहे विद्यमान हो या परिनिर्माणाधीन हो, जिसका उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन यथा शारीरिक या मानसिक बीमारी, रोगों या दीर्वल्य से पीडित व्यक्तियों, शिशुओं के मामले, स्वास्थ्य लाभकर्ताओं या अधिक वय के व्यक्तियों की चिकित्सीय या अन्य उपचार या देखभाल करने या शास्ति या सुधारात्मक निरूद्धता, जिसमें निवासियों की स्वतंत्रता निर्बन्धित हो, दुकान, बाजार, शयनवास, होटल या किराये के लिए सुसज्जित कमरों वाले मकान, शैक्षिक संस्था, सभा भवनों, जहाँ जन समुदाय मनोरंजन, आमोद, सामाजिक, धार्मिक, देश–प्रेम सम्बन्धी

नागरिक यात्राओं के लिए इकट्ठा या एकत्रित होना हो या तत्समान प्रयोजनों के लिए किया जाना सम्भावित हो, के लिए योजना प्रस्तुत की जायेगी और सरकार द्वारा प्राधिकृत सत्ता से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी कि अग्नि से सुरक्षा व्यवहारिक रूप में युक्ति–युक्तपूर्वक प्राप्य है और प्राप्त की जा सकती है।

व्यतिक्रम की दशा में उपनिदेशक तकनीकी की शक्तियाँ

19. (1) उपनिदेशक तकनीकी धारा 17 के अधीन जारी किसी नोटिस का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में ऐसे कदम उठायेगा, जो ऐसी नोटिस के अनुपालन के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन उठाये गए किन्हीं कदमों के सम्बन्ध में उपनिदेशक तकनीकी द्वारा उपगत समस्त व्यय माँग किये जाने पर स्वामी या अधिभोगी द्वारा संदेय होंगे और यदि ऐसी माँग के पश्चात् दस दिन के भीतर संदत्त न किए जायें तो भू–राजस्व के बकाये के रूप में उनकी वसूली की जा सकती है।

अपील

20. (1) नाम–निर्दिष्ट प्राधिकारी या मुख्य अग्निशमन अधिकारी के किसी नोटिस या उसके आदेश से व्यथित होकर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को उस नोटिस या आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, के दिनाँक से तीस दिन के अन्दर अपील कर सकेगा :

परन्तु यह कि जिलाधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत न किये जाने का पर्याप्त कारण था।

(2) उपधारा (1) के अधीन जिलाधिकारी के कोई अपील ऐसे प्रपत्र में और उस नोटिस या आदेश की प्रति, जिसके विरूद्ध अपील की जानी है और ऐसी फीस के साथ की जायेगी, जैसा विहित किया जाय।

शास्ति

21. जो कोई इस अधिनियम के धारा 15, धारा 17 एवं धारा 18 का उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध किये गए किसी अन्य कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख तक हो सकेगी या दोनों से और जहाँ अपराध निरन्तर जारी हो, वहाँ प्रथम बार के पश्चात् ऐसे निरन्तर अपराध के दौरान जुर्माने, जो पाँच हजार प्रतिदिन तक हो सकेगा, से दण्ड का भागी होगा।

कम्पनी द्वारा अपराध

22. (1) जहाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा अपराध किया जाता है तो अपराध किए जाने के समय में प्रत्येक व्यक्ति, जो कम्पनी के प्रभार में था और जो कम्पनी के व्यवसाय के संचालन के लिए उत्तरदायी था, के साथ ही साथ कम्पनी को अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा और उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा और तद्नुसार दण्डित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से कोई व्यक्ति सजा का पात्र नहीं होगा, यदि वह इस बात को सिद्ध कर देता है कि अपराध जानकारी के बिना किया गया था अथवा ऐसे अपराध को कारित होने से रोकने के लिए उसने सम्यक् तत्परता से प्रयास किया था।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए की, जहाँ पर इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया गया हो और वह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या कम्पनी के किसी अन्य अधिकारी की सहमति या उसकी मौनानुमति से किया गया है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी/कर्मचारी, उस अपराध का दोषी माना जायेगा और उसके विरूद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है और तद्नुसार दण्डित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(क) **"कम्पनी"** से ऐसा निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसमें कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में **"निदेशक"** से फर्म के भागीदार अभिप्रेत हैं।

झूठी रिपोर्ट देने के लिये दण्ड

23. कोई व्यक्ति, जो पुलिस अधीक्षक या किसी थाने के प्रभारी अधिकारी को या उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा के किसी ऐसे सदस्य को, जो रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये अधिकृत हो, आग लगने की झूठी रिपोर्ट जानबूझ कर देगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पाये जाने पर जुर्माने, जो रूपये पाँच हजार से अधिक न होगा, भागी होगा ।

अन्य कार्यों पर अग्निशमन एवं आपात सेवा को सेवायोजित करना

24. राज्य सरकार को यह अनुमति होगी कि वह उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा के सदस्यों को ऐसे बचाव, उद्धरण या अन्य कार्य में नियुक्त करें जो उसके प्रशिक्षण, साधित्रों या उपस्कर के कारण उसके लिये उपयुक्त हो।

प्रक्रिया

25. इस अधिनियम की धारा 5 तथा 22 के अधीन की गयी कार्यवाहियाँ, यथा सम्भव, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के उपबंधों से शासित होगी और इन धाराओं के अधीन किये गये अपराध जमानतीय तथा असंज्ञेय होगें।

नियम बनाने की शक्ति

26. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, नियम बना सकेगी ।

न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

27. इस अधिनियम के अधीन कोई न्यायालय किसी नोटिस या आदेश के सम्बन्ध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और इस अधिनियम के अधीन ऐसी नोटिस या आदेश पर अपील प्रस्तुत किये जाने के अलावा अन्यथा आपत्ति नहीं की जायेगी।

अभियोजन की संस्वीकृति

28. नाम–निर्दिष्ट प्राधिकारी से शिकायत पर या उससे सूचना की प्राप्ति के सिवाय कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण की कार्यवाही नहीं करेगा।

अधिकारिता

29. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

30. इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

31. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु यह कि कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश जारी होने के तुरन्त पश्चात् उत्तराखण्ड विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा

राज्य और जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का प्रभाव

32. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में राज्य और जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित दी गयी शक्तियां प्रभावी होंगी।

निरसन और अपवाद

33 (1) संयुक्त प्रान्त अग्निशमन आपात सेवा अधिनियम, 1944 (अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1944) उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,

आर0सी0 खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

No. 381/XXXVI(3)/2016/61(1)/2016
Dated Dehradun, December 19, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Fire & Emergency Service, Fire Prevention and Fire Safety Bill, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 37 of 2016).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 09 December, 2016.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86/87 के अधीन पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में अग्निशमन के लिए प्रवृत्त संयुक्त प्रान्त अग्निशमन आपात सेवा अधिनियम, 1944 (सं0 प्रा0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1944), उत्तराखण्ड राज्य में भी यथावत् लागू है।

2— पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त अधिनियम को अपने आप में पूर्ण न मानते हुए अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के लिए वर्ष 2005 में अलग से अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

3— उत्तराखण्ड राज्य की भिन्न भौगोलिक परिस्थिति होने के फलस्वरूप उसके लिए अग्निशमन आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के लिए एक ही अधिनियम बनाया जाना अधिक औचित्यपूर्ण समझा गया है। अतः पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में लागू संयुक्त प्रान्त अग्निशमन आपात सेवा अधिनियम, 1944 (सं0प्रा0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1944) जो उत्तराखण्ड राज्य में भी यथावत् लागू है, को उत्तराखण्ड के राज्य के परिप्रेक्ष्य में निरसित करते हुए एक नया अधिनियम अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

4— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 विधायी/633—2016—100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।